सप्तदश बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-19 वृहस्पतिवार, दिनांक-18 मार्च, 2021 ई० ।

माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 01.00 बजे अपराह्न तक ।

सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही विपक्ष के कतिपय माननीय सदस्यगण किसानों से संबंधित कई मामलों को उठाया एवं शोर-गुल करते हुए वेल में आ गए ।

आसन द्वारा कहा गया कि इसे उचित समय पर उठाएँ ।

तत्पश्चात् माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए ।

[1] **प्रश्नकाल** :-

(i) 04 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित ।

(ii) 16 तारांकित प्रश्न उत्तरित ।

(iii) 01 तारांकित प्रश्न संख्या 'ख'-966 पंचायती राज विभाग में स्थानांतरित ।

(iv) 01 तारांकित प्रश्न अपृष्ट ।

(v) 168 तारांकित प्रश्न अनागत ।

[2] **आसन की सूचना**:-

आसन द्वारा सदन को सूचित किया गया कि आज के लिए सूचीबद्ध 04 अल्पसूचित प्रश्नों में से 03 के उत्तर ऑनलाईन प्राप्त हुए हैं, अर्थात् 75 प्रतिशत । राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग शत-प्रतिशत, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग शत-प्रतिशत तथा कृषि विभाग 50 प्रतिशत । तारांकित प्रश्नों की कुल योग 186 में से 135 के उत्तर आएं हैं जिनमें पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग शत-प्रतिशत, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग शत-प्रतिशत, नगर विकास एवं आवास विभाग 46 प्रतिशत, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग 73 प्रतिशत, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 87 प्रतिशत और सहकारिता विभाग 75 प्रतिशत ।

[3] अन्य चर्चा :-

माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा एवं श्री सिद्धार्थ सौरव द्वारा माननीय सदस्य श्री संतोष कुमार मिश्र के परिजनों की हत्या का मामला उठाया गया, जिसपर आसन से निदेश के उपरांत माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा इसका संज्ञान लिया गया ।

माननीय सदस्य श्री कुमार सर्वजीत द्वारा माननीय सदस्या श्रीमती रेखा देवी के विशेषाधिकार हनन से संबंधित मामले को उठाया गया ।

आसन द्वारा कहा गया कि यह सचिव, बिहार विधान सभा को प्राप्त कराया गया है इसपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी ।

[4] कार्य स्थगन प्रस्ताव :-

माननीय सदस्य श्री महबूब आलम, श्री सुदामा प्रसाद, श्री महा नंद सिंह, श्री अमरजीत कुशवाहा, श्री अरूण सिंह, श्री मनोज मंजिल, श्री गोपाल रविदास, श्री रामबली सिंह यादव, श्री संदीप सौरभ, श्री ऋषि कुमार, श्री रामवृक्ष सदा, श्री चेतन आनन्द, श्री राजवंशी महतो, श्री विनय कुमार, श्री सतीश कुमार एवं श्री भूदेव चौधरी से प्राप्त कार्य स्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा अमान्य किये जाने की घोषणा की गयी ।

[5] शून्यकाल :-

शून्यकाल की सूचना के अन्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया :-

(i)	श्री महा नंद सिंह	(ii)	श्री संदीप सौरभ
(iii)	श्री ऋषि कुमार	(iv)	श्री कुमार शैलेन्द्र
(v)	श्री रामबली सिंह यादव	(vi)	श्री अरूण सिंह
(vii)	श्री सतीश कुमार	(viii)	श्री सुदामा प्रसाद
(ix)	श्री कृष्णनंदन पासवान	(x)	श्री जय प्रकाश यादव
(xi)	श्री मुकेश कुमार रौशन	(xii)	श्रीमती भागीरथी देवी
(xiii)	श्री विजय कुमार	(xiv)	श्री निरंजन राय
(xv)	श्री संजय सरावगी	(xvi)	श्री विनय कुमार
(xvii)	श्री मिथिलेश कुमार	(xviii)	श्री पवन कुमार जायसवाल
(xix)	श्री इजहारूल हुसैन	(xx)	श्री इसराईल मंसूरी
(xxi)	श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव	(xxii)	श्री मनोज मंजिल
(xxiii)	श्री भूदेव चौधरी	(xxiv)	श्री रामचन्द्र प्रसाद
(xxv)	श्री महबूब आलम	(xxvi)	श्री मो० अनजार नईमी
(xxvii)	श्री मो० इजहार असफी	(xxviii)	श्री पंकज कुमार मिश्र
(xxix)	श्री आलोक कुमार मेहता	(xxx)	श्री चेतन आनन्द
(xxxi)	श्री प्रणव कुमार	(xxxii)	श्री अजीत शर्मा
(xxxiii)	श्री समीर कुमार महासेठ	(xxxiv)	श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी
(xxxv)	श्रीमती शालिनी मिश्रा	(xxxvi)	श्री ललन कुमार
(xxxvii)	श्रीमती नीतू कुमारी	(xxxviii)	श्री मुकेश कुमार यादव
(xxxix)	श्री सुनील मणि तिवारी	(xl)	श्री अमरजीत कुशवाहा
(xli)	श्री विद्या सागर केशरी	(xlii)	श्री अजय कुमार
(xliii)	श्री विजय कुमार खेमका	(xliv)	श्री संतोष कुमार मिश्र
(xlv)	श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता	(xlvi)	श्री अरूण शंकर प्रसाद
(xlvii)	श्री सत्यदेव राम	(xlviii)	श्री मुरारी प्रसाद गौतम

(xlix)	श्री संजय कुमार गुप्ता	(l)	श्री कुंदन कुमार
(li)	श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह	(lii)	श्री पवन कुमार यादव
(liii)	श्री गोपाल रविदास	(liv)	श्री मनोज कुमार यादव
(lv)	श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव	(lvi)	श्री शमीम अहमद
(lvii)	श्री रणविजय साहू	(lviii)	श्री मुरारी मोहन झा

माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद, श्री महबूब आलम, श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी, श्री गोपाल रविदास को उनकी शून्यकाल की सूचना के संक्षिप्त होने के कारण आसन द्वारा धन्यवाद दिया गया ।

शून्यकाल के लिए सूचीबद्ध कुल 67 सूचनाओं में से शेष 09 को आसन द्वारा समयाभाव के कारण पढ़ा हुआ माना गया ।

[6] **ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :-**

(i) माननीय सदस्य, श्री आनन्द शंकर सिंह एवं अन्य सभासदों का सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित तथा दिनांक-16 मार्च, 2021 से स्थगित ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा दिया गया ।

(ii) माननीय सदस्य, श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह एवं अन्य सभासदों का समाज कल्याण विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य, श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, श्री मदन सहनी द्वारा इसका उत्तर दिया गया ।

(iii) माननीय सदस्य, श्री अवध विहारी चौधरी एवं अन्य सभासदों का नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य, श्री अवध विहारी चौधरी द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, श्रीमती रेणु देवी द्वारा इसके उत्तर के लिए सदन से समय लिया गया ।

[7] **सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-**

(i) माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग श्री श्रवण कुमार द्वारा ''बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन-प्रक्रिया नियमावली, 2018'' की प्रति को सभा मेज पर रखा गया । यह 14 दिनों तक सभा मेज पर रखा रहेगा ।

(ii) माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग श्री श्रवण कुमार द्वारा ''बिहार परिवार न्यायालय नियमावली, 2011'' की प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

(iii) माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग श्री श्रवण कुमार द्वारा बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा-शर्त्तें) (संशोधन) नियमावली, 2013; बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा-शर्त्तें) (संशोधन) नियमावली, 2014; बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा-शर्त्तें) (संशोधन) नियमावली, 2017; बिहार उच्च न्याय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2019; बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) (प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा) (संशोधन) नियमावली, 2019; बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) (प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा) नियमावली, 2019; बिहार जुडिशियल ऑफिसर्स कंडक्ट रूल्स, 2017 (अधिसूचना सं०-3066 दिनांक 06.03.19); बिहार उच्च न्याय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2017 एवं उक्त नियमावली का शुद्धि पत्र; बिहार जुडिशियल ऑफिसर्स कंडक्ट रूल्स, 2017 (अधिसूचना सं०-7402 दिनांक 16.06.17); बिहार उच्च न्याय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2014; बिहार उच्च न्यायिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2013 एवं उक्त नियमावली का शुद्धि पत्र; बिहार उच्च न्याय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2012; बिहार उच्च न्याय सेवा (संशोधन) नियमावली,

2011 एवं बिहार न्यायिक सेवा (भर्त्ती) नियमावली, 1955 से संशोधित अधिसूचना सं०- 8390 दिनांक 26.08.10 की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

(iv) माननीय मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, श्री सुमित कुमार सिंह द्वारा "राजकीय पोलिटेकनिक / राजकीय महिला पोलिटेकनिक सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष संवर्ग नियमावली, 2021"; "राजकीय अभियंत्रण एवं राजकीय पोलिटेकनिक, प्रारूपक (ड्राफ्ट्समैन) संवर्ग नियमावली, 2021" एवं "राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पोलिटेकनिक / राजकीय महिला पोलिटेकनिक फिजीकल ट्रेनिंग अनुदेशक संवर्ग नियमावली, 2021" की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

(v) माननीय सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, श्री हरिनारायण सिंह द्वारा समिति के 210वें प्रतिवेदन की प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

(vi) माननीय सभापति, राजकीय आश्वासन समिति, श्री दामोदर रावत द्वारा समिति का 298वां, 300वां एवं 301वें प्रतिवेदन की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

माननीय सदस्य श्री जीतन राम मांझी द्वारा दिव्यांगों, विधवाओं एवं वृद्धजनों को मिलने वाली सरकारी पेंशन की राशि में वृद्धि करने का अनुरोध सरकार से किया गया ।

तत्पश्चात् सभा की बैठक भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई ।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 03.34 बजे अपराह्न तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

[8] **विधायी कार्य :-**

राजकीय विधेयक :-

"बिहार लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2021"

माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुर:स्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान द्वारा सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया ।

माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा एवं श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा दिए गए सभी संशोधन सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा पक्ष रखा गया ।

तदुपरान्त बिहार लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2021 सदन से स्वीकृत हुआ ।

"बिहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक, 2021"

माननीय मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुर:स्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान द्वारा सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया ।

माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त खंडश: विचार के क्रम में माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ, श्री अजय कुमार सिंह एवं श्री अजीत शर्मा द्वारा दिए गए सभी संशोधन सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा पक्ष रखा गया ।

तदुपरान्त बिहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक, 2021 सदन से स्वीकृत हुआ ।

''बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1984-85) विधेयक, 2021''

माननीय मंत्री, वित्त विभाग श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुर:स्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया ।

तदुपरांत बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1984-85) विधेयक, 2021 सदन से स्वीकृत हुआ ।

''बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021''

माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुर:स्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार द्वारा सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया ।

माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त खंडश: विचार के क्रम में माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ, श्री अजीत शर्मा एवं श्री अजय कुमार द्वारा दिए गए सभी संशोधन सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी द्वारा पक्ष रखते हुए कहा गया कि बिहार अधिनियम (11) 2007 की धारा-56 में भी संशोधन है, इसमें जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं वे बहुत कनीय स्तर के होते हैं । वे अपने द्वारा लिखित या नामित किसी पदाधिकारी को प्राधिकृत कर सकते हैं लेकिन माननीय मंत्री, विधायक और विधान पार्षद संवैधानिक पद पर होते हैं परन्तु उन्हें स्वयं ही उस बैठक में जाना होता है । वे किसी भी व्यक्ति को उस बैठक में भाग लेने हेतु नामित या प्राधिकृत नहीं कर सकते हैं इसलिए उनका सरकार से अनुरोध था कि जब कनीय स्तर का पदाधिकारी अपने द्वारा नामित किसी को बैठा सकता है तो संवैधानिक पद पर बैठे लोग भी अपने द्वारा किसी प्रतिनिधि को नामित कर सकें ।

तत्पश्चात् माननीय मंत्री द्वारा पक्ष रखा गया ।

तदुपरांत ''बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021 सदन से स्वीकृत हुआ ।

"बिहार सिविल न्यायालय विधेयक, 2021"

माननीय मंत्री, विधि विभाग श्री प्रमोद कुमार द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान द्वारा सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया ।

माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव का नाम संयुक्त प्रवर समिति के प्रस्ताव हेतु आसन से पुकारा गया किन्तु माननीय सदस्य द्वारा प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा द्वारा दिए गए सभी संशोधन सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा पक्ष रखा गया ।

माननीय मंत्री, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा उक्त विधेयक को सदन में लाने एवं पारित कराने के एतिहासिक क्षण पर माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया गया ।

तदुपरांत बिहार सिविल न्यायालय विधेयक, 2021 सदन से स्वीकृत हुआ ।

[9] निवेदन :-

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 61 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिये जायेंगे ।

तत्पश्चात् सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक-19 मार्च, 2021 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना
दिनांक-18.03.2021

राज कुमार सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।